न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी अलका बिश्नोई (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

मुकदमा नम्बर – 46 / 2018

1. श्रीमती शान्ति देवी स्त्री भीवांराम जाति नाई निवासी भीमसर तहसील व जिला झुंझुनू

– वादीया

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार झुंझुनू।

–प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1. श्री विक्रम ओला –वादीया की ओर से
2. श्री श्रवण कुमार सैनी (जी.ए.)–राज्य सरकार की ओर से

**दावा बाबत घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती**

**निर्णय**

दिनांक 18.01.2019

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि जमीन सरहद राजस्व ग्राम भीमसर तहसील व जिला झुंझुनू में गत खसरा न. 175 हाल खसरा न. 619 तादादी 0.25 हैक्टर व खसरा न. 638 तादादी 0.13 हैक्टर दौराने पैमाईश हाल खसरा न. 619, 638 जिसका रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा न. 619 और खसरा न. 638 मे 0.13 हैक्टर है। उक्त जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र का पहले खातेदार वादीया के पति भींवाराम जाति नाई निवासी भीमसर था। उक्त भींवाराम का देहान्त दिनांक 03.09.2013 को हो चुका है उक्त भींवाराम के देहान्त के बाद उक्त जमीन उतराधिकार में वारिसानों को प्राप्त हुआ। यह कि पुराने समय से जमाबन्दी 2015–2016 से ही जमीन खाता संख्या 69 खसरा न. 619, 638 रकबा 0.25 हैक्टर और 0.13 हैक्टर हमारे कब्जे काश्त में रही है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी जांच व सक्षम न्यायालय के आदेश के जमाबन्दी में गलत रूप से उपकृषक में दर्ज नही करनी चाहिये थी जबकि कृषक ही दर्ज करना चाहिये था। उपकृषक का अंकन राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज किया गया है जो काबिल दुरूस्त है। उक्त गलत राजस्व रिकार्ड का वादीया को पता नही था। पट्टा बनाने हेतु जब वादीया ने चाहा तब पता चला कि गलत राजस्व रिकार्ड का तथा उपकृषक तथा खातेदारी में गलत अंकन का पता चला कि वादीया ने जमीन का कृषक का रिकार्ड वाद की रिलीफ के मुताबिक दुरूस्ती बाबत प्रतिवादी से निवेदन किया तो प्रतिवादी ने सक्षम न्यायालय में दावा पेशकर आदेश प्राप्त करने की सलाह दी। इसलिये मौजूदा वाद पत्र अदालत हाजा में पेश करना आवश्यक हुआ। उक्त दावा हाजा के लिये वाद कारण वाद पत्र की धारा 4 मे वर्णित अनुसार अदालत हाज़ा के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ। उक्त प्रतिवादी लोक सेवक है कानून से लोक सेवक के विरूद्ध दावा दायरी से पूर्व 80(1) जा0दी0 के तहत दो माह का नोटिस देना आवश्यक है। लेकिन यदि प्रतिवादी को दो माह का नोटिस देकर दावा पेश किया जाता है तो दावा की नोयत ही बदल जायेगी। वादीया का दावा अर्जेन्ट नेचर का है इसलिये न्यायालय श्रीमान की इजाजत से बिना दो माह का नोटिस दिये दावा पेश किया जा सकता है। इसलिये धारा 80(2) जा0दी0 के तहत बिना दो माह पूर्व का नोटिस दिये

दावा पेश करने की इजाजत दिया जाना न्यायोचित है। उक्त दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व तृतीय अनुसूची के क्रमांक के तहत अन्दर मियाद है। उक्त वादीया डिक्री किया जाकर जमीन हाल खसरा न. 619 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा न. 638 रकबा 0.13 हैक्टर, वाके ग्राम भीमसर तहसील व जिला झुंझुनू में वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा जमीन उपकृषक से कृषक में दुरूस्त किया जावें तथा जमीन उपकृषक के रिकार्ड में उपकृषक शब्द के बजाय कृषक दुरूस्त किया जावें। उक्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को मय प्रति दावा के वास्ते जवाबदेही चाही गई। प्रतिवादी न. 1 पैरोकार सरकार ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2018/2640 दिनांक 14.09.2018 को जवाब पेश किया कि ग्राम भीमसर में वर्तमान जमांबदी सम्वत् 2074–2077 के खाता नम्बर 71 के अनुसार खसरा न. 619 रकबा 0.25 हैक्टर व खसरा 638 रकबा 0.12 हैक्टर शान्ति देवी पत्नी भींवाराम, बनवारी पुत्र मगंलाराम, ओमप्रकाश, मुकेश, सजंय पिता हनुमानाराम, रमेश कुमार, सुभाष, मनोज पिता हरी किशन, सुरेशचन्द्र पिता जगदीश, जुगल किशोर, फुलचन्द पिता रामकुमार वर्तमान में उक्त खसरा पर उक्त वादीया के पूर्वजो से लेकर आज तक बदस्तूर कब्जा काश्त चला आ रहा है। तत्पश्चात वादीया ने अपने कब्जे की ताहिद में साक्ष्य मे अपना स्वयं का शपथ–पत्र व राकेश पुत्र बनवारी का शपथ–पत्र पेश किया। हमने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों व पत्रावली पर समस्त राजस्व रिकार्ड व जवाब दावा तहसीलदार का गहनता से अवलोकन करते हुए, बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। जिससे उक्त विवादग्रस्त भूमि पर पहले वादीया के पूर्वजों से लेकर आज तक कब्जा काश्त होना जाहिर है। जिसकी पुष्टि खसरा गिरदावरी सम्वत् 2015–2016 व 2020 से 2021 मे कॉलम न. 6 मे भींवाराम पुत्र मंगला के नाम से दर्ज रिकार्ड है व सरपंच ग्राम पंचायत भीमसर द्वारा जारी नकल प्रस्ताव ग्राम पंचायत बैठक दिनांक 20.05.2016 का प्रस्ताव सर्व सम्मति द्वारा पारित किया गया कि खसरा न. 619 व 638 से मदन सिंह पुत्र रूप सिंह जाति राजपूत का नाम पृथक कर वर्तमान खातेदार का नाम दर्ज किया जावें। कब्जा काश्त की ताहिद होने पर विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत वादीया उक्त कब्जा शुदा भूमि को दुरूस्त कराने का अधिकारी होना न्याय संगत है। परिपत्र राजस्व ग्रुप–6 विभाग क्रमांक प. 6(7)राज. –4/7712 दिनांक 10.01.2013 जयपुर के आदेशानुसार इस विभाग के आदेश क्रमांक 6(7)राज–4/7715 दिनांक 16.10.2001 के क्रम में सिवायचक भूमियों पर दिनांक 15.07.1994 तक कृषि भूमि हेतु किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने के निर्देश जारी किये गये है। तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा विभागिय सम सख्यक आदेश क्रमांक प. 6(7)राज–4/7712 दिनांक 10.01.2008 जारी कर दिनांक 15.07.1994 की अवधि को बढाकर दिनांक 01.01.2000 किया गया। उपर्युक्त के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय नजीरे वादीया द्वारा प्रस्तुत की जो सन् 1987 आर.आर.डी. पेज नम्बर 202 राजस्थान हाई कोर्ट तथा आर.आर.डी. सन् 2001 पेज नम्बर 411 रेवेन्यू बोर्ड के अनुसार उपर्युक्त दोनो न्यायिक दृष्टान्तों मे राजस्थान उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी व्यक्ति का कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने के समय अर्थात सम्वत् 2012 में किसी कृषि भूमि पर साबित कर दिया जाता है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने से पूर्व व उक्त भूमि को काश्त कर रहा है तो इस आधार पर उसे भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है। धारा 15, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कब्जाधारी व्यक्ति काश्तकार की श्रेणी मे आता है। उसे काश्तकार खातेदार घोषित किया जा सकता है। वाद ग्रस्त भूमि पर वादीया का कब्जा कदीमी समय से होकर आज तक बदस्तूर होना जाहिर

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू राज.

होता है। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त सभी परिपत्र व माननीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत नजीरे इस वाद पर पूर्णतया चस्पा होने पर वाद वादीया स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

## आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीया स्वीकार किया जाकर ग्राम भीमसर मे स्थित कृषि भूमि खसरा न. 619 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा न. 638 रकबा 0.13 हैक्टर, की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के कॉलम न. 4 ठा. मदन सिंह पुत्र स्वरूपं सिंह जाति राजपुत सादे नवलगढ का नाम हज्फ् किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि मे मुताबिक कब्जा काश्त के अनुसार स्व. भींवाराम की विधि वारिसान को बहिस्सा बंराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी अंकन बदस्तूर। तहसीलदार झुंझुंनू को आदेशित किया जाता है कि व उक्त घोषणानुसार राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर अमल दरामद करें। खर्चा वादीया अपना स्वयं वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 18.01.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/1/19

(अलका बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू राज.

# मुल वाद में डिक्री

( आदेश 20 नियम 6 एवं 7 जा.दी.)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुझुनूं**

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती अलका बिश्नोई (आर0ए0एस0)

उनवान

श्रीमती शान्ति देवी बनाम राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार झुंझुनू

**दावा बाबत घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती**

मु.नं. 46 / 2018 निर्णय दिनांक: 18.01.2019

वादीया की ओर से वकील उपस्थित। इस वाद में आज तारीख 18.01.2019 को श्रीमती अल्का बिश्नोई, उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादीया स्वीकार किया जाकर ग्राम भीमसर मे स्थित कृषि भूमि खसरा न. 619 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा न. 638 रकबा 0.13 हैक्टर, की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के कॉलम न. 4 ठा. मदन सिंह पुत्र स्वरूप सिंह जाति राजपुत सादे नवलगढ़ का नाम हज्फ किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि मे मुताबिक कब्जा काश्त के अनुसार स्व. भींवाराम की विधि वारिसान को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी अंकन बदस्तूर। तहसीलदार झुंझुंनू को आदेशित किया जाता है कि व उक्त घोषणानुसार राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर अमल दरामद करें। खर्चा वादीया अपना स्वयं वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 18.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू (राज.)

(अलका बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू

उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू राज.

वादी के खर्चे

| वादी | रूपया | प्रतिवादी | रूपया |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 2 | स्टाम्प वकालतनामा | 0 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 45 | स्टाम्प अर्जी | |
| स्टाम्प वजह सबुत | | मेहनतनामा वकील पर | |
| मेहनतनामा वकील | | खर्चा गवाहान | |
| खर्चा गवाहान | | फीस कमिशनर | |
| फीस कमिशनर | | बाबत इजराय हुक्मनामा | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | मुतफरिक | |
| कुल | 47 | कुल | 0 |

(अलका बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू

उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू राज.